न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 130/2016

विमला देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी हंसराज जाति कुम्हार निवासी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। ——अपीलार्थी

बनाम

1. भीमराज
2. कृष्णलाल | पिसरान सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तह0 व जिला
3. मोहनलाल | श्रीगंगानगर।
4. गीतादेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी श्रीराम पुत्र श्रवणराम जाति कुम्हार निवासी सप्पांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. रोशनी पुत्री सुरजाराम पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला ढाणी, सालीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 14.10.2002 व डिक्री दिनांक 18.12.2002

उपस्थितिः—

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 3

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 14.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 88, 92ए के तहत केसराराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए चक 3 डी छोटी के मु.नं. 34, 46, 22, 12 की 15 बीघा , चक 3 डी छोटी के मु.नं. 16, 17, 33,

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

46, 11 की 14.10 बीघा, चक 3 डी छोटी के मु.नं. 17, 33, 34, 46 व मु.नं. 1 की 15 बीघा , 1 डी छोटी के मु.नं. 43 की 4.10 बीघा भूमि का विभाजन करने का पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने जबाब दावा पेश कर दावा स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया। अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 14.10.2002 को वाद स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के तहत अपीलांट एवं रेस्पों. सं. 4 व 5 का अपने पिता सुरजाराम की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही 1/7 हिस्सा था जिसे वंचित करने हेतु रेस्पों. सं. 1 से 3 ने अधी. न्यायालय में रेस्पों. सं. 4 व 5 को वारिस न दर्शाते हुए समस्त कृषि भूमि चक 3 डी छोटी की अपने तीनों के नाम जरिये डिक्री दर्ज करवा दी। रेस्पों. सं. 1 ने अपीलांट व रेस्पों. सं. 4 व 5 को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.टी. 2015(1) पेज 732 की नजीर पेश की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय में वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण ने इकवाली जबाबदावा पेश किया जिस पर अधी. न्यायालय ने दावा स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14.10.2002 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53, 88, 92ए के तहत रेस्पों. के पक्ष में दावा डिक्री किया है जबकि अपीलांट का बहैसियत वारिस विवादित आराजी में हक हकुक होने से निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन आदेश 14.10.2002 के विरूद्ध दिनांक 05.10.2016 को 14 वर्ष बाद अपील पेश की है एवं 14 वर्ष के delay condone के जो प्रा.पत्र पेश किया है उसमें अंकित किया है कि प्रार्थीया अपने पिता स्व0 सुरजाराम की मृत्यु दिनांक 18.07.2010 के बाद कभी अपने पीहर साधूवाली नहीं गई। उससे पूर्व पिता के जीवनकाल में उसने सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं मांगा, क्योंकि प्रार्थीया के भाई, स्व0 सुरजाराम की सेवा करते थे। प्रार्थीया जब अपने पिता की मृत्यु के कई वर्षों बाद जब अपने पिता की विरासतन कृषि भूमि में से अपने हिस्से की कृषि भूमि का पता करने के लिए पटवारी हल्का के पास कुछ माह पूर्व गई तो उसने बताया कि चक 1 डी की कृषि भूमि सुरजाराम के समस्त वारिसों के नाम दर्ज हो चुकी है, परन्तु चक 3–डी की समस्त कृषि भूमि जरिये आदेश व डिक्री उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर आपके तीनों भाईयों/रेस्पों. सं. 1 ता 3 के नाम सन 2003 में दर्ज हो चुकी है। इस पर प्रार्थीया पटवारी हल्का से इन्तकाल की नकल प्राप्त कर अधिवक्ता से मिली। अधिवक्ता ने प्रार्थीया को बताया कि इन्तकाल संख्या 179 में जरिये आदेश व डिक्री उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर दिनांकित 20.02.2003 कृषि भूमि दर्ज की गई है जिसकी प्रमाणित प्रति लेकर आये जिससे उक्त आदेश को जरिये अपील चुनौती दी जा सके। प्रार्थीया द्वारा भरसक प्रयास

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने के पश्चात उक्त आदेश जोकि इन्तकाल में दर्ज था, जोकि इन्तकाल में सही अंकित न होने की वजह से प्राप्त करने में कठिनाई हुई। आदेश एवं डिक्री की सही दिनांक क्रमशः 14.10.2002 एवं 18.12.2002 थी। आदेश दिनांक 14.10.2002 व डिक्री दिनांक 18.12.2002 की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.09.2016 को प्राप्त कर एवं पैसों व वारिस प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर तथा अधिवक्ता नियुक्त कर अपील बिना किसी देरी के ईल्म से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रा.पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांट पटवारी के पास कुछ माह पूर्व गई तो उसे अपीलाधीन निर्णय का पता चला जाहिर किया कुछ माह पूर्व की कोई तिथि दिनांक या specific period अंकित नहीं किया जो जो मियाद के बिन्दु निर्धारण का महत्वपूर्ण कारक होता है जैसाकि सन्दर्भ मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 की bare reading है कि
5. Extension of prescribed period in certain cases.—Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period.

उपरोक्त प्रावधानुसार जो delay condone का जो कारण दर्शाया है उससे यह न्यायालय सन्तुष्ट नहीं है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी चक 3 डी छोटी के मु.नं. 34 के कि.नं. 1, 2, 8 से 13, 18, 19 की 10 बीघा, मु.नं. 46 के कि.नं. 23 से 25 की 3 बीघा, मु.नं. 22 के कि.नं. 14, 17 की 1.10 बीघा, मु.नं. 12 के कि.नं. 16, मु.नं. 16 के कि.नं. 5, 6, 15, 16 की 4 बीघा, मु.नं. 17 के कि.नं. 1, 2, 8 से 13, 18 से 23 की 14 बीघा, मु.नं. 33 के कि.नं. 21, मु.नं. 46 के कि.नं. 16 से 19 , 21, 22 की 6 बीघा, मु.नं. 11 के कि.नं. 11 व 20 की 2 बीघा, मु.नं. 1 के कि.नं. 1, 10 की 2 बीघा इस प्रकार कुल 24.10 बीघा व चक 1 डी छोटी के 4.10 बीघा दोनों चकों की 50.10 बीघा भूमि सुरजाराम की पैतृक सम्पत्ति होकर विवादित होकर जो तीन वारिसान

14/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के नाम इकबाल दावा के आधार पर दावा डिक्री होकर राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, वह दुरभि संधि होकर विधि विरूद्ध निर्णय होना जाहिर किया। अधी. न्यायालय द्वारा बिना सुरजाराम के विधिक वारिसों की रिपोर्ट प्राप्त किये वाद पत्र डिक्री कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अन्य कथनों में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराया गया जिसका प्रत्युत्तर अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी मौखिक बहस में जाहिर किया कि दावा अधी. न्यायालय में दर्ज रजिस्टर होकर दावा डिक्री किया है जिसका क्रियात्मक अंश है कि वाद पत्र के पैरा सं. 7(i)(ii)(iii)(iv) अनुरूप वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 को वादगत आराजी के खातेदार घौषित कर विभाजन की किलावाईज डिक्री प्रदान की जाती है। नियमानुसार स्टाम्प डयूटी जमा होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। चुंकि दावे का निर्णय दिनांक 14.10.2002 को होकर विवादित आराजी रेस्पों. के नाम दर्ज होने का नामान्तरणकरण इसी रूप में स्वीकृत हो चुका है, जो राजस्व विधि में उपरोक्त नामान्तरण के इन्द्राजात अनुसार रेस्पों. निर्बाध रूप से काबिज होकर 13 वर्षों से खातेदार काश्तकार दर्ज है बाबत अपीलांट्स को मयाद अधिनियम 1963 चैप्टर iv के तहत protection प्राप्त होकर काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63v के तहत अपीलांट के खातेदारी अधिकार अगर बनते है तब भी extingush हो चुके हैं साथ ही राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 183 के तहत अपीलांट मयाद के बिन्दु पर कब्जा वापसी का अधिकार भी खो चुकी है तथा अपील मीमों में भी यह अनुतोष प्राप्त करने की prayer नहीं की है। अतः पत्रावली के अवलोकन, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि :—

1. अपील 14 वर्ष के विलम्ब के साथ पेश की है एवं delay condone के कारण एवं आधार दर्शाए है उनसे न्यायालय संतुष्ट नहीं है।
2. विवादित आराजी पर रेस्पों. विधिक आदेश के तहत बहैसियत खातेदार काश्तकार निर्बाध रूप से काबिज है। अतः मयाद अधिनियम 1963 के चैप्टर iv के प्रावधानुसार उन्हें मालिकाना हक प्राप्त है।

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की अपील की है परन्तु विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का न तो अनुतोष मांगा है, न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत कब्जा प्राप्ति की मयाद के बिन्दु पर अधिकारी नहीं है। इन्हीं प्रावधानों की पूरक विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63iv के तहत अपीलांट के अधिकार extingush हो चुके है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)